

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।





सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-160/2019-20

-: आदेश :-

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
15/07/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>विक्रेता 1.जुगनी देवी पति स्व० चरकु महतो, 2.लगेन महतो पिता स्व० कमल महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-तेलीडीह बस्ती, थाना-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-तेलीडीह, थाना नं०-34 के खाता संख्या-15, प्लॉट नं०-1170 कुल रकवा-0.10½ एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 101/भू०सु०, दिनांक 13.02.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1220 दिनांक 09.07.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान खेलु महतो दीगर के नाम से दर्ज है। 2. (क). विक्रेता ग्राम-तेलीडीह, थाना-चास , जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं। (ख). क्रेता ग्राम-तेलीडीह, थाना-चास , जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं। 3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के कुर्मी हैं, जो पिछड़ी जाति के श्रेणी में आते हैं। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात 2.00 एकड़ भूमि शेष बचता है। 5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी पंजी-II के थोका संख्या-39 में कायम है। लगान रसीद 2017-18 तक निर्गत है। 8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है। 9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है। 10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म- बहाल है। 11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-तेलीडीह, थाना नं०-34 के खाता संख्या-15, प्लॉट नं०-1170 कुल रकवा-0.10½ एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। 	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2019/44773 - दिनांक 21-01-2019 एवं प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2019/589432 - दिनांक 24-07-2019 क्रेता का स्थानीय स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2019/44823 - दिनांक 21-01-2019 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा आवेदक के द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता 1.जुगनी देवी पति स्व० चरकु महतो, 2.लगेन महतो पिता स्व० कमल महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-तेलीडीह बस्ती, थाना-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-तेलीडीह, थाना नं०-34 के खाता संख्या-15, प्लॉट नं०-1170 कुल रकवा-0.10½ एकड. भूमि क्रेता सावित्री देवी पति तिलक महतो, जाति-कुर्मी ग्राम-तेलीडीह बस्ती, थाना-चास, जिला - बोकारो को विक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।</p>	<p></p> <p></p>